UP APO 2018 GS MAINS PAPER

Q1. (A) नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों की आलोचनात्मक व्याख्या

Critical Explanation of the Provisions of the Citizenship Amendment Act, 2019

प्रस्तावना Introduction

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए।

The Citizenship Amendment Act, 2019 (CAA) amends the Citizenship Act, 1955. Its main objective is to grant Indian citizenship to certain religious minorities from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan who came to India due to religious persecution.

नागरिकता अधिनियम, 1955 की पृष्ठभूमि Background of the Citizenship Act, 1955

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। संविधान ने संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी है। इसी आधार पर संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया।

Articles 5 to 11 of the Constitution deal with citizenship. The Constitution gives Parliament the power to make laws regarding citizenship. On this basis, Parliament enacted the Citizenship Act, 1955.

CAA, 2019 के मुख्य प्रावधान Main Provisions of the CAA, 2019

1. किन देशों के लोगों पर लागू Applicable Countries

यह अधिनियम केवल तीन देशों पर लागू होता है:

The Act applies only to persons coming from three countries:

1. पाकिस्तान Pakistan
2. बांग्लादेश Bangladesh
3. अफगानिस्तान Afghanistan

2. किन समुदायों को लाभ Communities Covered

CAA benefits the following six religious communities:

1. Hindus
2. Sikhs
3. Buddhists
4. Jains
5. Parsis
6. Christians

3. किन्हें बाहर रखा गया Excluded Communities

इस अधिनियम में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, श्रीलंका के तमिल, म्यांमार के रोहिंग्या, नेपाल या भूटान से आए लोगों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया।

The Muslim community has not been included in this Act. Further, Sri Lankan Tamils, Rohingyas from Myanmar, and migrants from Nepal or Bhutan are also excluded.

4. अवैध प्रवासी की परिभाषा में परिवर्तन Change in the Definition of Illegal Migrant

नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार जो व्यक्ति बिना वैध दस्तावेज के भारत आता है, वह अवैध प्रवासी माना जाता है। CAA, 2019 ने उपर्युक्त छह समुदायों को अवैध प्रवासी की श्रेणी से बाहर कर दिया।

Under the Citizenship Act, 1955, a person entering India without valid documents is treated as an illegal migrant. CAA, 2019 excludes the above six communities from the category of illegal migrants.

5. कट-ऑफ तिथि Cut-off Date

जो व्यक्ति 31 दिसम्बर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं, केवल वही इस अधिनियम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

Only those persons who entered India on or before 31 December 2014 are eligible to receive the benefit of this Act.

6. नागरिकता प्राप्ति की अवधि में कमी Reduction in Residence Requirement

पहले प्राकृतिककरण (Naturalisation) द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 वर्ष भारत में रहना आवश्यक था। CAA, 2019 ने इन छह समुदायों के लिए यह अवधि घटाकर 5 वर्ष कर दी।

Earlier, a person seeking citizenship by naturalisation had to reside in India for 11 years. CAA, 2019 reduces this period to 5 years for the six specified communities.

7. अधिनियम किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा Areas Exempted from the Act

यह अधिनियम निम्न क्षेत्रों में लागू नहीं होगा:

1. संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जनजातीय क्षेत्र
2. इनर लाइन परमिट (ILP) वाले राज्य

इनमें मुख्यतः असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ क्षेत्र तथा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर जैसे राज्य शामिल हैं।

The Act does not apply to:

1. Tribal areas covered under the Sixth Schedule of the Constitution
2. States under the Inner Line Permit (ILP) system

These mainly include certain areas of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura, and states such as Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram and Manipur.

अधिनियम के समर्थन में तर्क Arguments in Favour of the Act

1. धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित लोगों को राहत Relief to Victims of Religious Persecution

समर्थकों के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश हैं, जहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसलिए भारत का नैतिक कर्तव्य है कि वह उन्हें शरण और नागरिकता दे।

Supporters argue that Pakistan, Bangladesh and Afghanistan are Islamic countries where religious minorities face persecution. Therefore, India has a moral duty to provide them shelter and citizenship.

2. मानवीय दृष्टिकोण 2. Humanitarian Approach

यह अधिनियम वर्षों से भारत में रह रहे शरणार्थियों को कानूनी पहचान देता है। इससे उन्हें शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन प्राप्त हो सकेगा।

The Act provides legal identity to refugees who have been living in India for many years. It helps them access education, employment and a dignified life.

3. विभाजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि Historical Background of Partition

स मर्थकों का मानना है कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए पड़ोसी देशों में रह गए धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी है।

Supporters believe that India was partitioned on religious lines; therefore, India has a responsibility towards the minorities left behind in neighbouring countries.

अधिनियम की आलोचना Criticism of the Act

1. अनुच्छेद 14 का उल्लंघन Violation of Article 14

आलोचकों के अनुसार CAA संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। यह अधिनियम धर्म के आधार पर भेदभाव करता है क्योंकि इसमें केवल छह धर्मों को शामिल किया गया है।

Critics argue that CAA violates Article 14 of the Constitution, which guarantees equality before law. The Act discriminates on the basis of religion because it includes only six religions.

2. मुस्लिम समुदाय का बहिष्कार Exclusion of Muslims

CAA में मुस्लिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया है, जबकि अहमदिया, शिया, हजारा और रोहिंग्या जैसे मुस्लिम समुदाय भी उत्पीड़न का सामना करते हैं।

Muslims have been excluded from the CAA, even though groups such as Ahmadias, Shias, Hazaras and Rohingyas also face persecution.

3. धर्मनिरपेक्षता पर प्रभाव Impact on Secularism

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आलोचकों का कहना है कि धर्म के आधार पर नागरिकता देना संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है।

India is a secular state. Critics say that granting citizenship on the basis of religion is against the basic structure of the Constitution.

4. NRC के साथ जोड़कर देखा जाना Viewed Along with NRC

कई लोगों को आशंका है कि यदि CAA को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के साथ लागू किया गया, तो इससे नागरिकता के प्रश्न पर व्यापक विवाद उत्पन्न हो सकता है।

Many people fear that if CAA is implemented along with the National Register of Citizens (NRC), it may create large-scale disputes regarding citizenship.

5. उत्तर-पूर्वी राज्यों की चिंता Concerns of North-Eastern States

असम और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में लोगों को डर है कि इससे बाहरी लोगों की संख्या बढ़ेगी और उनकी भाषा, संस्कृति और पहचान प्रभावित होगी।

People in Assam and other North-Eastern states fear that the Act will increase the number of outsiders and adversely affect their language, culture and identity.

सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती Challenge Before the Supreme Court

CAA, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। याचिकाओं में कहा गया है कि यह अनुच्छेद 14, 21 और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। अभी तक इस विषय पर अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है।

CAA, 2019 has been challenged before the Supreme Court. The petitions argue that it violates Articles 14, 21 and the principle of secularism. The Court has not yet delivered a final decision.

निष्कर्ष Conclusion

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 एक महत्वपूर्ण तथा विवादास्पद कानून है। एक ओर यह धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित लोगों को राहत देता है, वहीं दूसरी ओर यह समानता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर प्रश्न खड़ा करता है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार और न्यायपालिका दोनों मिलकर ऐसा संतुलन बनाएं जिससे मानवता, संविधान और राष्ट्रीय हित—तीनों की रक्षा हो सके।

The Citizenship Amendment Act, 2019 is an important as well as controversial law. On one hand, it provides relief to victims of religious persecution; on the other hand, it raises questions regarding equality and secularism. Therefore, it is necessary that both the Government and the Judiciary strike a balance so that humanity, constitutional values and national interest are all protected.

Q. 1 (B) अनुच्छेद 35(ए) क्या कहता है, इसे क्यों हटाया गया तथा इसका जम्मू-कश्मीर पर प्रभाव

What Article 35(A) Says, Why It Was Removed and Its Impact on Jammu and Kashmir

प्रस्तावना Introduction

अनुच्छेद 35(ए) भारतीय संविधान का एक विशेष प्रावधान था, जो जम्मू-कश्मीर राज्य को अपने 'स्थायी निवासियों' के लिए विशेष अधिकार निर्धारित करने की शक्ति देता था। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। इसके साथ ही अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान भी हटा दिए गए।

Article 35(A) was a special provision of the Indian Constitution that empowered the State of Jammu and Kashmir to define "permanent residents" and provide them special rights. On 5 August 2019, the Government of India abolished it along with most provisions of Article 370.

अनुच्छेद 35(ए) क्या कहता था? What Did Article 35(A) Provide?

अनुच्छेद 35(ए) संविधान में 1954 के राष्ट्रपति आदेश द्वारा जोड़ा गया था। यह जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार देता था कि वह यह तय करे कि राज्य का 'स्थायी निवासी' कौन होगा तथा उन्हें कौन-कौन से विशेष अधिकार प्राप्त होंगे।

Article 35(A) was inserted into the Constitution through the Presidential Order of 1954. It empowered the Jammu and Kashmir Legislature to decide who would be treated as a "permanent resident" of the State and what special rights such persons would enjoy.

स्थायी निवासियों को निम्न विशेष अधिकार प्राप्त थे:

Permanent residents enjoyed the following special rights:

1. केवल स्थायी निवासी ही जम्मू-कश्मीर में भूमि खरीद सकते थे।
   Only permanent residents could purchase land in Jammu and Kashmir.
2. केवल स्थायी निवासी ही राज्य सरकार की नौकरियों के पात्र थे।
   Only permanent residents were eligible for government jobs in the State.

3. केवल स्थायी निवासी ही राज्य की छात्रवृत्ति तथा अन्य सामाजिक लाभ प्राप्त कर सकते थे।
   Only permanent residents could avail State scholarships and other welfare benefits.
4. बाहरी राज्य के लोग जम्मू-कश्मीर में स्थायी रूप से बस नहीं सकते थे।
   Persons from other States could not permanently settle in Jammu and Kashmir.
5. यदि जम्मू-कश्मीर की किसी महिला ने राज्य के बाहर के व्यक्ति से विवाह किया, तो उसके अधिकारों पर प्रभाव पड़ सकता था।
   If a woman from Jammu and Kashmir married a person from outside the State, her rights could be affected.

अनुच्छेद 35(ए) को क्यों हटाया गया? Why Was Article 35(A) Removed?

5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति आदेश तथा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के माध्यम से अनुच्छेद 35(ए) समाप्त कर दिया गया। इसके पीछे सरकार ने निम्न कारण बताए:

On 5 August 2019, Article 35(A) was removed through a Presidential Order and the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019. The Government gave the following reasons:

1. समानता के अधिकार की स्थापना Establishing Equality

सरकार का कहना था कि अनुच्छेद 35(ए) संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में दिए गए समानता के सिद्धांत के विपरीत था, क्योंकि यह अन्य भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव करता था।

The Government argued that Article 35(A) violated Articles 14, 15 and 16 of the Constitution, which guarantee equality, because it discriminated against other Indian citizens.

2. राष्ट्रीय एकीकरण National Integration

सरकार के अनुसार जम्मू-कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के समान संवैधानिक ढांचे में लाना आवश्यक था।

According to the Government, it was necessary to bring Jammu and Kashmir within the same constitutional framework as the rest of India.

3. आर्थिक विकास को बढ़ावा Promotion of Economic Development

अनुच्छेद 35(ए) के कारण बाहरी निवेशक जम्मू-कश्मीर में भूमि नहीं खरीद सकते थे। सरकार का मत था कि इसे हटाने से निवेश, उद्योग, पर्यटन और रोजगार बढ़ेगा।

Because of Article 35(A), outside investors could not buy land in Jammu and Kashmir. The Government believed that its removal would encourage investment, industry, tourism and employment.

4. महिलाओं और दलितों के अधिकार Rights of Women and Dalits

अनुच्छेद 35(ए) के कारण कुछ महिलाओं तथा अनुसूचित जाति के लोगों को पूर्ण अधिकार नहीं मिल पाते थे। इसे हटाकर इन वर्गों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया।

Due to Article 35(A), some women and Scheduled Caste groups did not enjoy full rights. Its removal was intended to ensure equal rights for these sections.

5. आतंकवाद और अलगाववाद को कम करना Reducing Terrorism and Separatism

सरकार का मानना था कि विशेष दर्जा अलगाववादी सोच को बढ़ावा देता है। इसलिए इसे हटाकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जा सकता है।

The Government believed that the special status encouraged separatist tendencies. Therefore, removing it could strengthen national unity.

अनुच्छेद 35(ए) हटाने के विरुद्ध तर्क Arguments Against the Removal of Article 35(A)

1. आलोचकों के अनुसार यह जम्मू-कश्मीर की विशेष पहचान और स्वायत्तता पर आघात था।
2. Critics argued that it was an attack on the special identity and autonomy of Jammu and Kashmir.
3. कई लोगों का मत था कि यह निर्णय बिना राज्य की जनता की सहमति के लिया गया।
4. Many believed that the decision was taken without the consent of the people of the State.
5. लोगों को डर था कि बाहरी लोगों के आने से राज्य की जनसंख्या संरचना बदल सकती है।
6. There was fear that the influx of outsiders could change the demographic structure of the region.
7. कुछ लोगों का कहना था कि इससे स्थानीय रोजगार और भूमि पर बाहरी लोगों का कब्जा बढ़ सकता है।
8. Some argued that outsiders may dominate local jobs and land.

जम्मू-कश्मीर के भविष्य पर संभावित प्रभाव Likely Impact on the Future of Jammu and Kashmir

सकारात्मक प्रभाव Positive Impact

1. अधिक निवेश और उद्योग आने की संभावना।
2. Possibility of greater investment and industrial development.
3. पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार।
4. Improvement in tourism, education and healthcare.
5. महिलाओं, दलितों और अन्य कमजोर वर्गों को समान अधिकार।
6. Equal rights for women, Dalits and other weaker sections.
7. जम्मू-कश्मीर का भारत के अन्य राज्यों के साथ अधिक एकीकरण।
8. Greater integration of Jammu and Kashmir with the rest of India.

नकारात्मक प्रभाव Negative Impact

1. स्थानीय लोगों में पहचान और संस्कृति के समाप्त होने का भय।
2. Fear among locals regarding loss of identity and culture.
3. जनसंख्या संरचना में परिवर्तन की आशंका।
4. Possibility of demographic change.
5. राजनीतिक असंतोष और विरोध बढ़ने की संभावना।
6. Possibility of increased political dissatisfaction and protests.
7. भूमि और रोजगार के लिए स्थानीय तथा बाहरी लोगों के बीच संघर्ष।
8. Potential conflict between locals and outsiders over land and jobs.

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण View of the Supreme Court

अनुच्छेद 35(ए) और अनुच्छेद 370 हटाने को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। दिसंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को वैध माना और कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तथा संसद को ऐसे परिवर्तन करने का अधिकार है।

The removal of Article 35(A) and Article 370 was challenged before the Supreme Court. In December 2023, the Supreme Court upheld the Government's decision and held that Jammu and Kashmir is an integral part of India and Parliament has the power to make such changes.

निष्कर्ष Conclusion

अनुच्छेद 35(ए) जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाला प्रावधान था। इसके हटने से एक ओर समानता, निवेश और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय पहचान, संस्कृति और राजनीतिक असंतोष जैसी चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं। अतः भविष्य में जम्मू-कश्मीर का विकास तभी संभव है जब आर्थिक प्रगति के साथ-साथ स्थानीय लोगों की भावनाओं और अधिकारों का भी सम्मान किया जाए।

Article 35(A) was a provision granting special rights to Jammu and Kashmir. Its removal may promote equality, investment and national integration, but it may also create challenges relating to local identity, culture and political dissatisfaction. Therefore, the future development of Jammu and Kashmir will depend upon balancing economic progress with respect for the rights and sentiments of the local people.

Q2 (A) भारत-नेपाल सीमा विवाद तथा उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव.

India-Nepal Border Dispute and its Socio-Economic and Political Impact.

प्रस्तावना Introduction

भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है, जिसके कारण लोगों का आवागमन बिना वीजा के होता है। फिर भी, कुछ सीमा क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों के बीच समय-समय पर विवाद उत्पन्न हुआ है।

India and Nepal share centuries-old cultural, religious and economic ties. There is an open border between the two countries, allowing free movement of people without a visa. However, disputes have arisen from time to time regarding certain border areas.

भारत-नेपाल सीमा विवाद क्या है?

What is the India-Nepal Border Dispute?

भारत और नेपाल के बीच लगभग 1,751 किलोमीटर लंबी सीमा है। मुख्य विवाद तीन क्षेत्रों को लेकर है:

India and Nepal share a border of about 1,751 kilometres. The main dispute concerns three areas:

1. कालापानी kalapani
2. लिपुलेख Lipulekh
3. लिम्पियाधुरा Limpiyadhura

इन क्षेत्रों का विवाद मुख्य रूप से महाकाली नदी की उत्पत्ति को लेकर है।

The dispute mainly concerns the origin of the Mahakali River.

विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि Historical Background of the Dispute

1816 की सुगौली संधि के अनुसार महाकाली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल का और पश्चिम का क्षेत्र ब्रिटिश भारत का माना गया। लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि महाकाली नदी का वास्तविक उद्गम कहाँ है।

According to the Treaty of Sugauli, 1816, the area east of the Mahakali River belonged to Nepal and the area west of it belonged to British India. However, the exact origin of the Mahakali River was not clearly defined.

नेपाल का दावा है कि नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है। यदि यह माना जाए, तो कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा नेपाल के क्षेत्र में आते हैं।

Nepal claims that the river originates from Limpiyadhura. If this is accepted, Kalapani, Lipulekh and Limpiyadhura fall within Nepalese territory.

भारत का दावा है कि महाकाली नदी का उद्गम कालापानी के पास है। इसलिए भारत इन क्षेत्रों को अपना भाग मानता है।

India claims that the Mahakali River originates near Kalapani. Therefore, India considers these areas to be part of its territory.

विवाद हाल के वर्षों में क्यों बढ़ा? Why Did the Dispute Intensify in Recent Years?

1. भारत का 2019 का राजनीतिक मानचित्र India's 2019 Political Map

2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के बाद भारत ने नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया, जिसमें कालापानी को भारत का भाग दिखाया गया। नेपाल ने इसका विरोध किया।

After the reorganisation of Jammu and Kashmir in 2019, India released a new political map showing Kalapani as part of India. Nepal objected to this.

2. लिपुलेख सड़क निर्माण Construction of Lipulekh Road

2020 में भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख तक सड़क बनाई। नेपाल ने कहा कि यह सड़क उसके क्षेत्र में बनाई गई है।

In 2020, India constructed a road up to Lipulekh for the Kailash Mansarovar Yatra. Nepal argued that the road was built in its territory.

3. नेपाल का नया मानचित्र Nepal's New Map

2020 में नेपाल ने नया मानचित्र जारी किया, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का भाग दिखाया गया। बाद में नेपाल की संसद ने इसे संवैधानिक मान्यता भी दी।

In 2020, Nepal released a new map showing Kalapani, Lipulekh and Limpiyadhura as part of Nepal. Later, the Nepalese Parliament gave constitutional recognition to this map.

सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव Impact on Social Sphere

1. भारत और नेपाल के लोगों के बीच विश्वास में कमी आ सकती है।
   There may be a decline in trust between the people of India and Nepal.
2. सीमा पर रहने वाले लोगों के पारिवारिक और सांस्कृतिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं।
   Family and cultural ties among people living along the border may be affected.
3. दोनों देशों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ सकती है, जिससे जनता के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है।
   Nationalist sentiments may increase in both countries, creating tensions among the people.
4. खुली सीमा होने के कारण स्थानीय स्तर पर आवागमन और सामाजिक संपर्क में कठिनाई हो सकती है।
   Because of the open border, local movement and social interaction may become difficult.

आर्थिक क्षेत्र पर प्रभाव Impact on Economic Sphere

1. भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सीमा विवाद से व्यापार प्रभावित हो सकता है।
   India is Nepal's largest trading partner. The border dispute may affect trade.
2. सीमा पर परिवहन और आपूर्ति में बाधा आ सकती है।
   Transport and supply across the border may face disruption.
3. नेपाल की अर्थव्यवस्था भारत पर काफी निर्भर है। यदि संबंध खराब होते हैं, तो नेपाल को आर्थिक नुकसान हो सकता है।
   Nepal's economy is heavily dependent on India. If relations worsen, Nepal may suffer economic loss.
4. पर्यटन, विशेषकर धार्मिक पर्यटन जैसे पशुपतिनाथ, जनकपुर और कैलाश-मानसरोवर यात्रा प्रभावित हो सकती है।
   Tourism, especially religious tourism such as visits to Pashupatinath, Janakpur and Kailash Mansarovar, may be affected.
5. भारत द्वारा नेपाल में किए जाने वाले निवेश और विकास परियोजनाओं की गति धीमी हो सकती है।
   Indian investment and development projects in Nepal may slow down.

राजनीतिक क्षेत्र पर प्रभाव Impact on Political Sphere

1. सीमा विवाद के कारण दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है।
   The border dispute may increase political tension between the two countries.
2. नेपाल में कुछ राजनीतिक दल भारत-विरोधी भावना का उपयोग घरेलू राजनीति में कर सकते हैं।
   Certain political parties in Nepal may use anti-India sentiment for domestic politics.
3. नेपाल चीन के और अधिक निकट जा सकता है, जिससे दक्षिण एशिया में भारत की रणनीतिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।
   Nepal may move closer to China, which may affect India's strategic position in South Asia.
4. दोनों देशों के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन में कठिनाई बढ़ सकती है।
   Cooperation in security and border management may become more difficult.
5. सार्क और BIMSTEC जैसे क्षेत्रीय संगठनों में सहयोग प्रभावित हो सकता है।
   Cooperation in regional organisations such as SAARC and BIMSTEC may also be affected.

विवाद के समाधान के उपाय Measures to Resolve the Dispute

1. दोनों देशों को कूटनीतिक वार्ता द्वारा समस्या का समाधान करना चाहिए।
   Both countries should resolve the issue through diplomatic dialogue.
2. ऐतिहासिक दस्तावेजों, नक्शों और संधियों का संयुक्त अध्ययन किया जाना चाहिए।
   Historical documents, maps and treaties should be jointly examined.
3. भारत और नेपाल को संयुक्त सीमा आयोग बनाकर सीमांकन करना चाहिए।
   India and Nepal should undertake demarcation through a joint boundary commission.
4. सीमा विवाद को जनता के बीच तनाव का कारण न बनने देकर आपसी विश्वास बनाए रखना चाहिए।
   The dispute should not be allowed to create tension among the people, and mutual trust should be preserved.
5. दोनों देशों को सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को मजबूत करते रहना चाहिए।
   Both countries should continue to strengthen cultural, economic and political cooperation.

निष्कर्ष Conclusion

भारत-नेपाल सीमा विवाद मुख्यतः कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों को लेकर है। यह विवाद दोनों देशों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। फिर भी, भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक निकटता, खुली सीमा और गहरे सांस्कृतिक संबंध ऐसे हैं कि इस विवाद का समाधान शांतिपूर्ण वार्ता और सहयोग से संभव है।

The India-Nepal border dispute mainly concerns Kalapani, Lipulekh and Limpiyadhura. This dispute can affect the social, economic and political relations between the two countries. However, the historical closeness, open border and deep cultural ties between India and Nepal make it possible to resolve the dispute through peaceful dialogue and cooperation.

Q2. (B) रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में भारत-फ्रांस संबंधों का वर्णन कीजिए।

Describe India-France relations in the light of strategic Partnership.

प्रस्तावना Introduction

भारत और फ्रांस के संबंध ऐतिहासिक, बहुआयामी और विश्वास पर आधारित हैं। दोनों देशों ने वर्ष 1998 **में सामरिक साझेदारी (**Strategic Partnership**) स्थापित की। यह भारत की पहली सामरिक साझेदारियों में से एक थी। तब से दोनों देशों के संबंध रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग, जलवायु परिवर्तन और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र तक विस्तृत हो चुके हैं।**

India and France share a historic, multidimensional and trust-based relationship. In 1998, both countries established a Strategic Partnership. It was one of India's first strategic partnerships. Since then, the relationship has expanded to defence, space, nuclear energy, trade, maritime security, counter-terrorism, climate change and the Indo-Pacific region.

भारत-फ्रांस सामरिक साझेदारी का उद्भव Origin of India-France Strategic Partnership

वर्ष **1998** में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद अनेक पश्चिमी देशों ने भारत की आलोचना की थी**,** परन्तु फ्रांस ने भारत के साथ संवाद बनाए रखा। इसी पृष्ठभूमि में भारत और फ्रांस ने सामरिक साझेदारी की घोषणा की।

After India's nuclear tests in 1998, many Western countries criticized India, but France maintained dialogue with India. In this background, India and France announced a Strategic Partnership.

सामरिक साझेदारी का मुख्य उद्देश्य था—

1. **रक्षा सहयोग बढ़ाना**
2. **परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष में सहयोग करना**
3. **अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक-दूसरे का समर्थन करना**
4. **आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना**

The main objectives of the Strategic Partnership were:

1. To enhance defence cooperation
2. To cooperate in nuclear energy and space
3. To support each other on international platforms
4. To tackle terrorism and regional security challenges

रक्षा सहयोग Defence Cooperation

भारत और फ्रांस के संबंधों का सबसे मजबूत आधार रक्षा सहयोग है। फ्रांस भारत के प्रमुख रक्षा साझेदारों में से एक है।

The strongest pillar of India-France relations is defence cooperation. France is one of India's major defence partners.

1. राफेल लड़ाकू विमान Rafale Fighter Aircraft

भारत ने फ्रांस से **36** राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। ये विमान भारतीय वायुसेना की क्षमता को मजबूत करते हैं। राफेल सौदा दोनों देशों के रक्षा संबंधों का प्रतीक माना जाता है।

India has purchased 36 Rafale fighter aircraft from France. These aircraft strengthen the capabilities of the Indian Air Force. The Rafale deal is considered a symbol of defence relations between the two countries.

2. सैन्य अभ्यास Military Exercises

भारत और फ्रांस नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं।

India and France regularly conduct joint military exercises.

- **वरुण अभ्यास – नौसेना के बीच**
- **गरुड़ अभ्यास – वायुसेना के बीच**
- **शक्ति अभ्यास – थल सेना के बीच**
- Varuna Exercise – Between the Navies
- Garuda Exercise – Between the Air Forces
- Shakti Exercise – Between the Armies

इन अभ्यासों से दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और सामरिक क्षमता बढ़ती है।

These exercises improve coordination and strategic capability between the armed forces of both countries.

3. रक्षा उत्पादन और तकनीक Defence Production and Technology

फ्रांस भारत में 'मेक इन इंडिया' के तहत रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देता है। दोनों देश पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों, इंजनों और रक्षा उपकरणों के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं।

France supports defence manufacturing in India under the 'Make in India' initiative. Both countries are cooperating in the production of submarines, helicopters, engines and defence equipment.

परमाणु ऊर्जा में सहयोग Cooperation in Nuclear Energy

भारत और फ्रांस के बीच असैनिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी मजबूत संबंध हैं। वर्ष **2008** में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के बाद फ्रांस पहला देश था जिसने भारत के साथ असैनिक परमाणु समझौता किया।

India and France also have strong ties in the field of civil nuclear energy. After the India-US nuclear deal in 2008, France became the first country to sign a civil nuclear agreement with India.

जैतापुर परमाणु परियोजना Jaitapur Nuclear Project

महाराष्ट्र के जैतापुर में फ्रांस की सहायता से दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक स्थापित किया जा रहा है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।

With French assistance, one of the world's largest nuclear power plants is being established at Jaitapur in Maharashtra. It will strengthen India's energy security.

अंतरिक्ष सहयोग Space Cooperation

भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में भी लंबे समय से सहयोग कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (**ISRO**) और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी **CNES** के बीच कई समझौते हुए हैं।

India and France have also been cooperating in the space sector for a long time. Several agreements have been signed between the Indian Space Research Organisation (ISRO) and the French space agency CNES.

दोनों देश निम्न क्षेत्रों में सहयोग करते हैं—

- **उपग्रह प्रक्षेपण**
- **समुद्री निगरानी**
- **जलवायु परिवर्तन का अध्ययन**
- **अंतरिक्ष अनुसंधान**

Both countries cooperate in the following areas:

- Satellite launches
- Maritime surveillance
- Study of climate change
- Space research

फ्रांस ने भारत के कई उपग्रहों के प्रक्षेपण में सहायता की है।

France has assisted in the launch of several Indian satellites.

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग Cooperation in the Indo-Pacific Region

भारत और फ्रांस दोनों इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र, खुला और नियम-आधारित व्यवस्था चाहते हैं। फ्रांस का हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में महत्वपूर्ण सामरिक हित है।

India and France both seek a free, open and rules-based order in the Indo-Pacific region. France has important strategic interests in the Indian and Pacific Oceans.

दोनों देशों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित किया है।

Both countries have developed a common vision for cooperation in the Indo-Pacific region.

मुख्य क्षेत्र:

- **समुद्री सुरक्षा** Maritime security
- **आतंकवाद और समुद्री डकैती से निपटना** Countering terrorism and piracy
- **समुद्री मार्गों की सुरक्षा** Protection of sea lanes
- **हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग** Cooperation in the Indian Ocean Region

आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग Counter-Terrorism Cooperation

भारत और फ्रांस दोनों आतंकवाद के खिलाफ कठोर रुख रखते हैं। फ्रांस ने हमेशा सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया है।

India and France both maintain a strong stance against terrorism. France has consistently supported India on the issue of cross-border terrorism.

फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादी संगठनों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में भारत का साथ दिया है।

France has supported India in taking action against terrorist organizations and terrorists at the United Nations.

व्यापार और आर्थिक संबंध Trade and Economic Relations

भारत और फ्रांस के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रेलवे, विमानन और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग हो रहा है।

Trade between India and France has been steadily increasing. Both countries are cooperating in areas such as trade, investment, science, technology, railways, aviation and urban development.

फ्रांस की अनेक कंपनियाँ भारत में कार्य कर रही हैं, जैसे:

- **एयरबस** Airbus
- **डसॉल्ट** Dassault
- **कैपजेमिनी** Capgemini
- **अल्स्टॉम** Alstom

Many French companies operate in India, such as:

फ्रांस भारत के स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में भी सहयोग करता है।

France also contributes to India's smart city, metro rail and infrastructure projects.

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण Climate Change and Environment

भारत और फ्रांस जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी साथ काम करते हैं। वर्ष **2015** में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (**International Solar Alliance**) की शुरुआत की।

India and France also work together on the issue of climate change. During the Paris Climate Conference in 2015, India and France launched the International Solar Alliance.

यह पहल सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए की गई थी।

This initiative was aimed at promoting solar energy and increasing the use of clean energy.

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग Cooperation on International Platforms

फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त, दोनों देश **G20, WTO, BRICS** के साथ संवाद, और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर सहयोग करते हैं।

France supports India's permanent membership in the United Nations Security Council. In addition, both countries cooperate on platforms such as the G20, WTO, BRICS dialogue and the United Nations.

भारत-फ्रांस संबंधों की प्रमुख विशेषताएँ

Main Features of India-France Relations

1. **आपसी विश्वास और समान दृष्टिकोण**
2. **रक्षा और सुरक्षा में गहरा सहयोग**
3. **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी**
4. **परमाणु और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग**
5. **आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन पर समान रुख**
6. Mutual trust and common vision
7. Deep cooperation in defence and security
8. Partnership in the Indo-Pacific region
9. Cooperation in nuclear and space sectors
10. Common stance on terrorism and climate change

चुनौतियाँ Challenges

हालाँकि भारत और फ्रांस के संबंध मजबूत हैं, फिर भी कुछ चुनौतियाँ हैं:

Although India-France relations are strong, there are some challenges:

- **व्यापार का स्तर अभी भी अपेक्षाकृत कम है** Trade levels are still relatively low
- **रक्षा समझौतों की लागत अधिक होती है** Defence agreements are expensive
- **कुछ परियोजनाओं में देरी होती है** Some projects face delays
- **यूरोप और एशिया की बदलती राजनीति का प्रभाव पड़ता है** Changing politics in Europe and Asia affect the relationship

निष्कर्ष Conclusion

भारत और फ्रांस की सामरिक साझेदारी 21वीं सदी में भारत की सबसे महत्वपूर्ण विदेश नीति साझेदारियों में से एक है। यह केवल रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्जा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन, व्यापार और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र तक फैली हुई है। भविष्य में दोनों देशों के बीच सहयोग और अधिक मजबूत होने की संभावना है।

The India-France Strategic Partnership is one of India's most important foreign policy partnerships in the 21st century. It is not limited to defence cooperation but extends to energy, space, climate change, trade and the Indo-Pacific region. In the future, cooperation between the two countries is likely to become even stronger.

Q3. (A) औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 के निहितार्थ

Implications of the Industrial Relations Code Bill, 2019

औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 का उद्देश्य देश के श्रम कानूनों को सरल, एकीकृत और आधुनिक बनाना था। इस विधेयक ने तीन प्रमुख कानूनों—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; तथा औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946—को एक संहिता में समाहित किया।

The Industrial Relations Code Bill, 2019 aimed to simplify, unify and modernize labour laws in India. It merged three major laws—the Industrial Disputes Act, 1947; the Trade Unions Act, 1926; and the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946—into a single code.

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य उद्योगों में श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच संतुलन स्थापित करना तथा "Ease of Doing Business" को बढ़ावा देना था।

The main objective of the Bill was to establish balance between workers and employers and to promote "Ease of Doing Business".

1. छँटनी और बंदी पर नई व्यवस्था New Provision on Lay-off and Closure

विधेयक के अनुसार 100 के स्थान पर 300 तक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को छँटनी, सेवा समाप्ति या उद्योग बंद करने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

According to the Bill, establishments employing up to 300 workers, instead of 100, would not require prior government permission for lay-off, retrenchment, or closure.

इससे उद्योगों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
This gives greater flexibility to industries and may encourage investment.
किन्तु श्रमिक संगठनों का मत है कि इससे नौकरी की सुरक्षा कम होगी और श्रमिकों की स्थिति कमजोर होगी।
However, labour unions believe that this will reduce job security and weaken the position of workers.

2. हड़ताल पर प्रतिबंध Restrictions on Strikes

विधेयक में यह प्रावधान किया गया कि किसी भी उद्योग में हड़ताल करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होगा।
The Bill made it mandatory to give a 14-day notice before going on strike in any industry.
पहले यह नियम केवल सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं पर लागू था।
Earlier, this rule applied only to public utility services.
इससे अचानक हड़तालों में कमी आएगी और उत्पादन बाधित नहीं होगा।
This may reduce sudden strikes and prevent disruption of production.
लेकिन आलोचकों के अनुसार इससे श्रमिकों के विरोध के अधिकार पर अंकुश लगेगा।
However, critics argue that it curtails the workers' right to protest.

3. ट्रेड यूनियन की मान्यता Recognition of Trade Unions

विधेयक में "Negotiating Union" या "Negotiating Council" की व्यवस्था की गई। यदि किसी यूनियन को 51% श्रमिकों का समर्थन प्राप्त है, तो उसे वार्ता हेतु मान्यता मिलेगी।
The Bill introduced the concept of a "Negotiating Union" or "Negotiating Council". If a union has the support of 51% of workers, it will be recognised for negotiations.
इससे श्रमिकों और प्रबंधन के बीच संवाद अधिक संगठित और प्रभावी होगा।
This will make communication between workers and management more organised and effective.

4. स्थायी आदेश Standing Orders

विधेयक के अनुसार 300 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर स्थायी आदेश लागू होंगे।
According to the Bill, standing orders will apply to establishments with 300 or more workers.
इससे छोटे और मध्यम उद्योगों पर प्रशासनिक बोझ कम होगा।
This reduces the administrative burden on small and medium enterprises.
लेकिन इससे 300 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को स्पष्ट सेवा शर्तों का लाभ नहीं मिल पाएगा।
However, workers employed in establishments with less than 300 employees may not get the benefit of clearly defined service conditions.

5. औद्योगिक विवादों का शीघ्र समाधान Speedy Resolution of Industrial Disputes

विधेयक में औद्योगिक न्यायाधिकरण (Industrial Tribunal) के माध्यम से विवादों के त्वरित समाधान की व्यवस्था की गई।
The Bill provides for speedy resolution of disputes through Industrial Tribunals.
इससे श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच लंबे समय तक चलने वाले विवाद कम होंगे।
This may reduce prolonged disputes between workers and employers.

सकारात्मक प्रभाव Positive Implications

• श्रम कानून सरल और एकीकृत होंगे।

Labour laws will become simpler and more integrated.

• उद्योगों में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।

•nvestment and employment opportunities may increase.

• श्रमिक-नियोक्ता संबंध अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित होंगे।

Employer-worker relations may become more clear and organised.

• "Ease of Doing Business" को प्रोत्साहन मिलेगा।

It will promote "Ease of Doing Business".

नकारात्मक प्रभाव Negative Implications

• श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा कम हो सकती है।

Workers' job security may decrease.

• हड़ताल और विरोध के अधिकार पर प्रतिबंध लग सकता है।

The right to strike and protest may be restricted.

• उद्योगपतियों को अधिक शक्ति मिलने से श्रमिक हित प्रभावित हो सकते हैं।

Greater power to employers may adversely affect labour interests.

निष्कर्ष Conclusion

औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 श्रम कानूनों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उद्योगों को अधिक लचीलापन देता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, परन्तु इसके साथ ही श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

The Industrial Relations Code Bill, 2019 is an important step toward labour law reform. It provides greater flexibility to industries and promotes economic growth, but it is equally necessary to ensure the safety and rights of workers.

Q3. (B) 'गिग इकोनॉमी' के लाभ और चुनौतियाँ : क्या भारतीय अर्थव्यवस्था इस दिशा में बढ़ रही है? Benefits and Challenges of the 'Gig Economy': Is the Indian Economy Moving in this Direction?

गिग इकोनॉमी से आशय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें लोग स्थायी नौकरी के स्थान पर अल्पकालिक, अनुबंध आधारित या फ्रीलांस कार्य करते हैं। इसमें श्रमिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेवाएँ प्रदान करते हैं, जैसे टैक्सी चलाना, खाना पहुँचाना, ऑनलाइन पढ़ाना, कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग आदि।

The gig economy refers to an economic system in which people work through short-term, contractual or freelance jobs instead of permanent employment. Workers provide services through digital platforms such as driving taxis, delivering food, online teaching, content writing and designing.

भारत में Uber Technologies, Ola Cabs, Swiggy, Zomato, Urban Company, Amazon और Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म गिग इकोनॉमी के प्रमुख उदाहरण हैं।

In India, platforms such as Uber Technologies, Ola Cabs, Swiggy, Zomato, Urban Company, Amazon and Flipkart are major examples of the gig economy.

1. गिग इकोनॉमी के लाभ Benefits of the Gig Economy

• रोजगार के अवसरों में वृद्धि Increase in Employment Opportunities

गिग इकोनॉमी कम शिक्षित, युवा, महिलाएँ और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी रोजगार का अवसर देती है।

The gig economy provides employment opportunities even to less educated people, youth, women and people from rural areas.

• कार्य में लचीलापन Flexibility in Work

श्रमिक अपनी सुविधा के अनुसार समय और कार्य का चयन कर सकते हैं। Workers can choose their working hours and type of work according to their convenience.

• अतिरिक्त आय का स्रोत Source of Additional Income

कई लोग स्थायी नौकरी के साथ-साथ अतिरिक्त कमाई के लिए भी गिग कार्य करते हैं। Many people do gig work along with a permanent job to earn extra income.

• उद्योगों के लिए कम लागत Lower Cost for Businesses

कंपनियों को स्थायी कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन, बोनस और अन्य सुविधाएँ देनी पड़ती हैं। Companies have to spend less on salaries, bonuses and other benefits compared to permanent employees.

• डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा Promotion of Digital Economy

• गिग इकोनॉमी डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन भुगतान और इंटरनेट आधारित सेवाओं को बढ़ावा देती है।

The gig economy promotes digital platforms, online payments and internet-based services.

2. गिग इकोनॉमी की चुनौतियाँ Challenges of the Gig Economy

• नौकरी की असुरक्षा Lack of Job Security

• गिग श्रमिकों को स्थायी नौकरी, पेंशन, भविष्य निधि, चिकित्सा सुविधा या बीमा नहीं मिलता। Gig workers do not get permanent jobs, pensions, provident fund, medical facilities or insurance.

• अनिश्चित आय Uncertain Income

• गिग श्रमिकों की आय निश्चित नहीं होती। कार्य की उपलब्धता पर आय निर्भर करती है। The income of gig workers is uncertain and depends on the availability of work.

• श्रमिक अधिकारों की कमी Lack of Labour Rights

• गिग श्रमिकों को अक्सर श्रमिक कानूनों का संरक्षण नहीं मिलता। Gig workers often do not receive protection under labour laws.

• शोषण की संभावना Possibility of Exploitation

• कंपनियाँ कम भुगतान, अधिक कार्य और अनुचित शर्तें लागू कर सकती हैं। Companies may impose low wages, excessive work and unfair conditions.

• सामाजिक सुरक्षा का अभाव Lack of Social Security

• गिग श्रमिकों के लिए दुर्घटना, बीमारी, मातृत्व लाभ या वृद्धावस्था सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं होती।

There is often no proper arrangement for accident insurance, sickness benefit, maternity benefit or old-age security for gig workers.

3. क्या भारतीय अर्थव्यवस्था इस दिशा में बढ़ रही है? Is the Indian Economy Moving in this Direction?

हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से गिग इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है।

Yes, the Indian economy is rapidly moving towards the gig economy.

भारत में स्मार्टफोन, इंटरनेट, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग ने गिग कार्य को बढ़ावा दिया है।

The increasing use of smartphones, internet, digital payments and online platforms in India has promoted gig work.

सरकार के नीति आयोग के अनुसार भारत में 2020–21 में लगभग 77 लाख गिग श्रमिक थे और 2029–30 तक यह संख्या 2.35 करोड़ तक पहुँच सकती है।

ई-कॉमर्स, कैब सेवा, फूड डिलीवरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आईटी क्षेत्र में गिग कार्य तेजी से बढ़ रहा है।

Gig work is rapidly increasing in e-commerce, cab services, food delivery, education, healthcare and the IT sector.

हाल ही में सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए श्रम संहिताओं और ई-श्रम पोर्टल जैसी योजनाएँ शुरू की हैं। NITI Aayog तथा Ministry of Labour and Employment ने भी गिग श्रमिकों के लिए बीमा और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है।

Recently, the government has introduced labour codes and schemes like the e-Shram Portal to provide social security to gig and platform workers. NITI Aayog and the Ministry of Labour and Employment have also emphasised the need for insurance and social security for gig workers.

निष्कर्ष Conclusion

गिग इकोनॉमी आधुनिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। यह रोजगार, लचीलापन और डिजिटल विकास को बढ़ावा देती है, लेकिन इसके साथ श्रमिकों की सुरक्षा, उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।

The gig economy has become an important part of the modern economy. It promotes employment, flexibility and digital growth, but it is equally important to ensure workers' safety, fair wages and social security.

Q4. (A) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) : परिभाषा एवं नैतिक मुद्दे

Artificial Intelligence: Definition and Ethical Issues

कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह तकनीक है जिसके द्वारा मशीनों या कंप्यूटरों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे मनुष्य की तरह सोच सकें, सीख सकें, निर्णय ले सकें और समस्याओं का समाधान कर सकें।

Artificial Intelligence is a technology through which machines or computers are developed in such a way that they can think, learn, make decisions and solve problems like humans.

Artificial Intelligence का प्रयोग आज स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, रक्षा, परिवहन, न्यायपालिका तथा उद्योगों में तेजी से बढ़ रहा है।

Artificial Intelligence is increasingly being used today in healthcare, education, banking, defence, transport, judiciary and industries.

उदाहरण के लिए, चेहरे की पहचान, स्वचालित वाहन, चैटबॉट, रोबोट, चिकित्सा निदान और ऑनलाइन सुझाव प्रणाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रमुख उदाहरण हैं।

For example, facial recognition, self-driving vehicles, chatbots, robots, medical diagnosis and online recommendation systems are major examples of Artificial Intelligence.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिभाषा Definition of Artificial Intelligence

"कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई मशीन मानव बुद्धि से संबंधित कार्य—जैसे सीखना, तर्क करना, निर्णय लेना और भाषा समझना—कर सकती है।"

"Artificial Intelligence is the ability of a machine to perform tasks associated with human intelligence, such as learning, reasoning, decision-making and understanding language."

1. गोपनीयता का उल्लंघन Violation of Privacy

AI आधारित प्रणालियाँ लोगों के व्यक्तिगत डेटा, चेहरे, आवाज़ और व्यवहार की जानकारी एकत्र करती हैं। इससे निजी जीवन में हस्तक्षेप हो सकता है।

AI-based systems collect personal data, faces, voices and behavioural information of people. This may interfere with privacy.

उदाहरण के लिए, निगरानी कैमरे और फेस रिकग्निशन तकनीक का गलत उपयोग नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

For example, misuse of surveillance cameras and facial recognition technology may affect the freedom of citizens.

2. रोजगार पर प्रभाव Impact on Employment

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण कई क्षेत्रों में मशीनें मानव श्रमिकों का स्थान ले रही हैं।

Due to Artificial Intelligence, machines are replacing human workers in many sectors.

इससे बेरोजगारी और आर्थिक असमानता बढ़ सकती है, विशेषकर कम कौशल वाले श्रमिकों में।

This may increase unemployment and economic inequality, especially among low-skilled workers.

3. पक्षपात और भेदभाव Bias and Discrimination

यदि AI को ऐसे डेटा पर प्रशिक्षित किया जाए जिसमें पक्षपात हो, तो उसके निर्णय भी पक्षपाती होंगे।

If AI is trained on biased data, its decisions will also be biased.

उदाहरण के लिए, भर्ती, बैंक ऋण या अपराध पहचान में AI किसी जाति, लिंग या वर्ग के प्रति भेदभाव कर सकता है।

For example, in recruitment, bank loans or crime detection, AI may discriminate on the basis of caste, gender or class.

4. उत्तरदायित्व की समस्या Problem of Accountability

यदि AI कोई गलत निर्णय लेता है, तो यह तय करना कठिन होता है कि उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी—मशीन की, प्रोग्रामर की, कंपनी की या उपयोगकर्ता की।

If AI makes a wrong decision, it becomes difficult to decide who is responsible—the machine, the programmer, the company or the user.

उदाहरण के लिए, यदि स्वचालित वाहन दुर्घटना कर दे, तो जिम्मेदार कौन होगा?

For example, if a self-driving vehicle causes an accident, who will be responsible?

5. मानव नियंत्रण का कम होना Reduction in Human Control

AI के अत्यधिक उपयोग से मनुष्य मशीनों पर अधिक निर्भर हो सकता है।

Excessive use of AI may make humans more dependent on machines.

यदि महत्वपूर्ण निर्णय पूरी तरह AI पर छोड़ दिए जाएँ, तो मानव विवेक और नैतिकता कमजोर हो सकती है।

If important decisions are left entirely to AI, human judgement and morality may weaken.

6. साइबर अपराध और दुरुपयोग Cybercrime and Misuse

AI का उपयोग फर्जी वीडियो, डीपफेक, साइबर हमले, ऑनलाइन धोखाधड़ी और हथियारों में भी किया जा सकता है।

AI can also be used for fake videos, deepfakes, cyber attacks, online fraud and weapons.

Deepfake जैसी तकनीक समाज में भ्रम और असत्य सूचना फैला सकती है।

Technologies like Deepfake can spread confusion and misinformation in society.

7. नैतिक और मानवीय मूल्यों पर प्रभाव Impact on Ethical and Human Values

AI के कारण मानवीय संवेदनाएँ, सहानुभूति और नैतिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं।

Due to AI, human emotions, empathy and moral decision-making may be affected.

विशेषकर न्याय, चिकित्सा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में केवल मशीन आधारित निर्णय उचित नहीं माने जाते।

Especially in areas like justice, medicine and education, decisions based only on machines are not considered appropriate.

समाधान Solutions

• AI के उपयोग के लिए स्पष्ट कानून और नियम बनाए जाएँ।

Clear laws and regulations should be made for the use of AI.

• डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को सुनिश्चित किया जाए।

Data security and privacy should be ensured.

• AI प्रणालियों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व होना चाहिए।

AI systems should have transparency and accountability.

• मानव नियंत्रण और नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

Human control and ethical values should be given priority.

• AI का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए, न कि केवल लाभ के लिए।

AI should be used for human welfare, not merely for profit.

निष्कर्ष Conclusion

कृत्रिम बुद्धिमत्ता विज्ञान और तकनीक का एक महत्वपूर्ण विकास है, जो मानव जीवन को सरल और बेहतर बना सकता है।

Artificial Intelligence is an important development in science and technology that can make human life easier and better.

किन्तु इसके उपयोग में गोपनीयता, बेरोजगारी, भेदभाव और उत्तरदायित्व जैसे नैतिक मुद्दों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

However, it is necessary to consider ethical issues such as privacy, unemployment, discrimination and accountability in its use.

अतः AI का उपयोग मानव हित, नैतिकता और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

Therefore, AI should be used while keeping in mind human welfare, ethics and social justice.

Q4. (B) वैज्ञानिक नवाचारों का लाभ आम आदमी तक कैसे पहुँचे?

How Can a Common Man Benefit from Scientific Innovations Despite Their Commercialization?

आज विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में तीव्र प्रगति हुई है। मोबाइल, इंटरनेट, दवाइयाँ, डिजिटल भुगतान, सौर ऊर्जा, ऑनलाइन शिक्षा और आधुनिक कृषि उपकरण जैसे अनेक वैज्ञानिक नवाचार लोगों के जीवन को आसान बना रहे हैं। परंतु इन नवाचारों का अत्यधिक व्यावसायीकरण हो जाने के कारण कई बार आम आदमी इनके लाभ से वंचित रह जाता है।

Today, there has been rapid progress in the field of science and technology. Scientific innovations such as mobile phones, internet, medicines, digital payments, solar energy, online education and modern agricultural tools are making life easier. However, because these innovations have become highly commercialized, the common man is often deprived of their benefits.

इसके बावजूद कुछ उपायों द्वारा एक सामान्य व्यक्ति इन नवाचारों का लाभ उठा सकता है।

Even then, a common person can benefit from these innovations through certain measures.

1. सरकारी योजनाओं के माध्यम से Through Government Schemes

सरकार अनेक वैज्ञानिक सुविधाएँ कम लागत या निःशुल्क उपलब्ध कराती है।

The government provides many scientific facilities at low cost or free of cost.

उदाहरण के लिए For example—

• जन धन योजना, आधार और मोबाइल के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग की सुविधा।

Digital banking through Jan Dhan Yojana, Aadhaar and mobile phones.

• आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ।

Modern healthcare facilities through the Ayushman Bharat Yojana.

• पीएम-किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और मौसम ऐप के माध्यम से वैज्ञानिक खेती।

Scientific farming through PM-Kisan, Soil Health Card and weather apps.

2. सस्ती तकनीक का उपयोग करके By Using Affordable Technology

आज पहले की तुलना में मोबाइल फोन, इंटरनेट, LED बल्ब, सोलर पैनल और डिजिटल सेवाएँ सस्ती हो गई हैं।

Today, compared to the past, mobile phones, internet, LED bulbs, solar panels and digital services have become cheaper.

एक सामान्य व्यक्ति कम लागत वाले स्मार्टफोन और इंटरनेट की सहायता से शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ सकता है।

A common person can connect to education, banking, healthcare and employment with the help of low-cost smartphones and internet.

भारत में Reliance Jio और अन्य दूरसंचार कंपनियों ने सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराया है, जिससे डिजिटल सेवाएँ गाँवों तक पहुँच सकी हैं।

In India, Reliance Jio and other telecom companies have provided affordable internet, making digital services available even in villages.

3. डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर By Using Digital Platforms

ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, ई-गवर्नेंस और ई-कॉमर्स के माध्यम से वैज्ञानिक नवाचारों का लाभ सीधे लोगों तक पहुँच रहा है।

Through online education, telemedicine, e-governance and e-commerce, the benefits of scientific innovations are reaching people directly.

• कोई छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है।

A student can study online.

• किसान मोबाइल ऐप द्वारा मौसम और बाजार की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

A farmer can get weather and market information through mobile apps.

• मरीज घर बैठे डॉक्टर से सलाह ले सकता है।

A patient can consult a doctor from home.

• आम आदमी ऑनलाइन टिकट, बिल भुगतान और बैंकिंग कर सकता है।

A common man can do online ticket booking, bill payment and banking.

4. वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाकर By Increasing Scientific Awareness

यदि लोगों को वैज्ञानिक नवाचारों की जानकारी नहीं होगी, तो वे उनका लाभ नहीं उठा पाएँगे।

If people are not aware of scientific innovations, they will not be able to benefit from them.

इसलिए शिक्षा, मीडिया और सामाजिक अभियानों के माध्यम से वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है।

Therefore, it is necessary to increase scientific awareness through education, media and social campaigns.

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता अभियान और विज्ञान मेले इस दिशा में सहायक हो सकते हैं।

Digital literacy campaigns and science fairs in rural areas can help in this direction.

5. स्थानीय और सस्ती नवाचारों को बढ़ावा देकर By Promoting Local and Low-Cost Innovations

ऐसे वैज्ञानिक नवाचार विकसित किए जाएँ जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार और कम लागत वाले हों।

Scientific innovations should be developed according to local needs and at low cost.

उदाहरण के लिए For example—

• सस्ती सौर ऊर्जा

Affordable solar energy

• कम पानी में चलने वाली सिंचाई तकनीक

Irrigation techniques that use less water

• कम कीमत की दवाइयाँ

Low-cost medicines

• ग्रामीण क्षेत्रों के लिए छोटे कृषि उपकरण

Small agricultural tools for rural areas

इससे आम आदमी पर आर्थिक बोझ कम होगा।

This will reduce the economic burden on the common man.

6. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहयोग से Through Public-Private Partnership

यदि सरकार और निजी कंपनियाँ मिलकर काम करें, तो वैज्ञानिक नवाचार अधिक लोगों तक पहुँच सकते हैं।

If the government and private companies work together, scientific innovations can reach more people.

उदाहरण के लिए, सरकार निजी कंपनियों को प्रोत्साहन दे सकती है कि वे कम कीमत पर दवाइयाँ, शिक्षा और तकनीक उपलब्ध कराएँ।

For example, the government can encourage private companies to provide medicines, education and technology at affordable rates.

निष्कर्ष Conclusion

वैज्ञानिक नवाचारों का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए।

The purpose of scientific innovations should not only be to earn profit, but also to improve human life.

यद्यपि आज वैज्ञानिक नवाचार अत्यधिक व्यावसायीकृत हो गए हैं, फिर भी सरकार, सस्ती तकनीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म और जागरूकता के माध्यम से एक आम आदमी इनका लाभ उठा सकता है।

Although scientific innovations have become highly commercialized today, a common man can still benefit from them through government support, affordable technology, digital platforms and awareness.

अतः आवश्यक है कि विज्ञान का लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुँचे।

Therefore, it is necessary that the benefits of science reach every section of society equally.

5. Write notes on the following:

(a) सटीक चिकित्सा Precision Medicine

सटीक चिकित्सा वह चिकित्सा पद्धति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना, जीवनशैली, पर्यावरण तथा रोग की प्रकृति के अनुसार उपचार किया जाता है।

Precision Medicine is a medical approach in which treatment is provided according to a person's genetic structure, lifestyle, environment and the nature of disease.

इसमें "एक ही उपचार सभी के लिए" की जगह "व्यक्ति विशेष के लिए उपचार" पर बल दिया जाता है।

It emphasises "treatment for a particular person" instead of "one treatment for all".

सटीक चिकित्सा का उपयोग विशेष रूप से कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग तथा दुर्लभ आनुवंशिक रोगों में किया जाता है।

Precision Medicine is especially used in cancer, diabetes, heart disease and rare genetic disorders.

लाभ: Benefits:

1. सही रोगी को सही समय पर सही दवा मिलती है।
   The right patient gets the right medicine at the right time.
2. दुष्प्रभाव कम होते हैं।
   Side effects are reduced.
3. रोग का शीघ्र और प्रभावी उपचार संभव होता है।
   Early and effective treatment becomes possible.
4. अनावश्यक दवाओं और परीक्षणों में कमी आती है।
   It reduces unnecessary medicines and tests.

चुनौतियाँ: Challenges:

1. यह तकनीक महँगी है।
   This technology is expensive.
2. सभी लोगों तक इसकी पहुँच नहीं है।
   It is not accessible to everyone.
3. रोगियों के आनुवंशिक डेटा की गोपनीयता का प्रश्न उठता है।
   Questions arise regarding the privacy of patients' genetic data.

(b) रणनीतिक बिक्री (b) Strategic Sale

रणनीतिक बिक्री का अर्थ है कि सरकार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी निजी कंपनी को बेच देती है तथा प्रबंधन का नियंत्रण भी उसे सौंप देती है।

Strategic Sale means that the government sells a major part of its stake in a Public Sector Undertaking (PSU) to a private company and also transfers management control.

यह विनिवेश (Disinvestment) का एक रूप है।

It is a form of disinvestment.

उदाहरण: एयर इंडिया को टाटा समूह को बेचना।

Example: Sale of Air India to Tata Group.

रणनीतिक बिक्री के उद्देश्य: Objectives of Strategic Sale:

1. सरकार पर आर्थिक बोझ कम करना।
   To reduce the financial burden on the government.
2. निजी क्षेत्र की दक्षता बढ़ाना।
   To improve efficiency through the private sector.
3. सरकार को प्राप्त धन का उपयोग विकास कार्यों में करना।
   To use the money received for development works.

लाभ: Benefits:

1. घाटे में चल रहे उपक्रमों की स्थिति सुधर सकती है।
   The condition of loss-making enterprises may improve.
2. सरकार को राजस्व प्राप्त होता है।
   The government gets revenue.
3. निजी प्रबंधन से उत्पादकता बढ़ती है।
   Productivity increases through private management.

हानियाँ: Disadvantages:

1. कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा हो सकता है।
   Employees may face job insecurity.
2. राष्ट्रीय संपत्ति निजी हाथों में जा सकती है।
   National assets may go into private hands.
3. सरकार का नियंत्रण कम हो जाता है।
   Government control decreases.

(c) डिजिटल इंडिया Digital India

डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 1 जुलाई 2015 को प्रारम्भ किया गया।

Digital India is a flagship programme of the Government of India launched on 1 July 2015.

इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है।

Its objective is to transform India into a digitally empowered society and knowledge-based economy.

मुख्य उद्देश्य:Main Objectives:

1. सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना।

To make government services available online.

2. इंटरनेट और डिजिटल सुविधाओं को गाँवों तक पहुँचाना।
   To extend internet and digital facilities to villages.
3. डिजिटल साक्षरता बढ़ाना।
   To increase digital literacy.

डिजिटल इंडिया के प्रमुख घटक: Major Components of Digital India:

1. भारतनेट BharatNet
2. डिजिटल भुगतान Digital Payments
3. ई-गवर्नेंस E-Governance
4. डिजिलॉकर DigiLocker
5. UMANG ऐप UMANG App

लाभ:Benefits:

1. पारदर्शिता और सुविधा बढ़ी है।
2. Transparency and convenience have increased.
3. ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाएँ पहुँची हैं।
4. Services have reached rural areas.
5. ऑनलाइन शिक्षा, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिला है।
6. Online education, banking and healthcare have been promoted.

(d) निपाह वायरस Nipah Virus

निपाह वायरस एक गंभीर संक्रामक रोग है जो वायरस के कारण होता है।

Nipah Virus is a serious infectious disease caused by a virus.

यह मुख्यतः चमगादड़ों से फैलता है और कभी-कभी सूअर या संक्रमित व्यक्ति से भी मनुष्य में फैल सकता है।

It mainly spreads from bats and can also spread from pigs or infected persons to humans.

इस वायरस की पहचान पहली बार 1998 में मलेशिया में हुई थी।

This virus was first identified in Malaysia in 1998.

लक्षण: Symptoms:

1. तेज बुखार High fever
2. सिरदर्द Headache
3. साँस लेने में कठिनाई Difficulty in breathing
4. मस्तिष्क में सूजन Swelling in the brain
5. बेहोशी और मृत्यु Unconsciousness and death

बचाव: Prevention:

1. संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना। Maintain distance from infected persons.
2. चमगादड़ों द्वारा खाए गए फलों का सेवन न करना। Avoid eating fruits bitten by bats.
3. स्वच्छता और सावधानी रखना।Maintain hygiene and caution.
4. संक्रमित क्षेत्रों में यात्रा से बचना। Avoid travelling to infected areas.

(e) उरकुंड URKUND

उरकुंड एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग नकल (Plagiarism) की जाँच करने के लिए किया जाता है।

URKUND is a software used to detect plagiarism.

पहले इसका नाम URKUND था, बाद में इसका नाम बदलकर Ouriginal कर दिया गया।

Earlier its name was URKUND, later it was renamed as Ouriginal.

यह छात्रों, शिक्षकों और विश्वविद्यालयों द्वारा शोधपत्र, असाइनमेंट और परियोजनाओं की मौलिकता जाँचने के लिए उपयोग किया जाता है।

It is used by students, teachers and universities to check the originality of research papers, assignments and projects.

कार्यप्रणाली: Working:

1. दस्तावेज़ को सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाता है।
   The document is uploaded to the software.
2. सॉफ्टवेयर उसे इंटरनेट, पुस्तकों और अन्य दस्तावेज़ों से तुलना करता है।
   The software compares it with the internet, books and other documents.
3. इसके बाद यह बताता है कि दस्तावेज़ में कितना भाग नकल किया गया है।
   It then shows how much part of the document has been copied.

महत्व: Importance:

1. शैक्षणिक ईमानदारी बनाए रखने में सहायता।
   Helps maintain academic honesty.
2. नकल और साहित्यिक चोरी को रोकता है।
   Prevents plagiarism and copying.
3. शोध की गुणवत्ता बढ़ाता है।
   Improves the quality of research.

6. Write short notes on the following:-

(a) एक्वापोनिक्स Aquaponics

एक्वापोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें मछली पालन (Aquaculture) और बिना मिट्टी के पौधों की खेती (Hydroponics) को एक साथ किया जाता है।

Aquaponics is a technique in which fish farming (Aquaculture) and soilless cultivation of plants (Hydroponics) are done together.

इसमें मछलियों का अपशिष्ट पौधों के लिए खाद का कार्य करता है और पौधे पानी को शुद्ध कर देते हैं।

In this system, fish waste acts as fertilizer for plants and the plants purify the water.

लाभ: Benefits:

1. कम पानी की आवश्यकता होती है। It requires less water.
2. रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। No chemical fertilizers are required.
3. एक साथ मछली और फसल दोनों प्राप्त होती हैं। Both fish and crops are obtained together.

(b) इंटेलाइट्स Intelights

इंटेलाइट्स भारत की एक स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली है, जिसे यातायात को नियंत्रित करने के लिए विकसित किया गया है।

Intelights is an Indian smart traffic management system developed to control traffic.

यह सेंसर, कैमरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके ट्रैफिक सिग्नल को नियंत्रित करता है।

It controls traffic signals using sensors, cameras and artificial intelligence.

विशेषताएँ: Features:

1. ट्रैफिक के अनुसार सिग्नल का समय बदलता है। It changes signal timing according to traffic.
2. जाम कम करने में मदद करता है। It helps reduce traffic jams.
3. ईंधन और समय की बचत होती है। It saves fuel and time.

(c) पोर्ट्स ऑफ कॉल Ports of Call

पोर्ट्स ऑफ कॉल से आशय उन बंदरगाहों से है जहाँ कोई जहाज अपने मार्ग में रुकता है।

Ports of Call refers to those ports where a ship stops during its journey.

जहाज यहाँ यात्रियों, सामान, ईंधन या अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए रुकते हैं।

Ships stop here for passengers, cargo, fuel or other essential services.

महत्व: Importance:

1. व्यापार और परिवहन को बढ़ावा मिलता है। It promotes trade and transport.
2. अंतरराष्ट्रीय संपर्क बढ़ता है। International connectivity increases.
3. बंदरगाहों की आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं। Economic activities of ports increase.

(d) कॉप-25 COP-25

COP-25 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का 25वाँ अधिवेशन था।

COP-25 was the 25th session of the United Nations Climate Change Conference.

यह सम्मेलन दिसंबर 2019 में स्पेन के मैड्रिड में आयोजित किया गया था।

It was held in Madrid, Spain, in December 2019.

इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों के बीच सहयोग बढ़ाना था।

Its main objective was to increase cooperation among countries to tackle climate change.

मुख्य विषय: Main Themes:

1. कार्बन उत्सर्जन में कमी। Reduction in carbon emissions.
2. पेरिस समझौते को लागू करना। Implementation of the Paris Agreement.
3. विकासशील देशों को वित्तीय सहायता। Financial support to developing countries.

(e) स्टारलिंक प्रोजेक्ट Starlink Project

स्टारलिंक प्रोजेक्ट SpaceX द्वारा शुरू की गई एक उपग्रह इंटरनेट सेवा है।

The Starlink Project is a satellite internet service launched by SpaceX.

इसका उद्देश्य दुनिया के दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में तेज इंटरनेट उपलब्ध कराना है।

Its objective is to provide high-speed internet to remote and rural areas of the world.

इस परियोजना के अंतर्गत पृथ्वी की निचली कक्षा में हजारों छोटे उपग्रह छोड़े जा रहे हैं।

Under this project, thousands of small satellites are being launched into low Earth orbit.

(f) कोरोना वायरस Corona Virus

कोरोना वायरस एक संक्रामक वायरस है जो मुख्यतः श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है।

Corona Virus is an infectious virus that mainly affects the respiratory system.

2019 में चीन के वुहान शहर में इसका पहला मामला सामने आया।

The first case was reported in Wuhan, China, in 2019.

इससे होने वाली बीमारी को COVID-19 कहा जाता है।

The disease caused by it is called COVID-19.

लक्षण: Symptoms:

1. बुखार Fever
2. खाँसी Cough
3. साँस लेने में कठिनाई Difficulty in breathing
4. स्वाद और गंध का चले जाना Loss of taste and smell

(g) अम्फान Amphan

अम्फान एक अत्यंत शक्तिशाली चक्रवात था जिसने मई 2020 में भारत और बांग्लादेश को प्रभावित किया।

Amphan was a very powerful cyclone that affected India and Bangladesh in May 2020.

इसका सबसे अधिक प्रभाव पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पड़ा।

It had the greatest impact on West Bengal and Odisha.

यह बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था।

It originated in the Bay of Bengal.

प्रभाव: Effects:

1. भारी वर्षा और तेज हवाएँ। Heavy rainfall and strong winds.
2. जन-धन की बड़ी हानि। Huge loss of life and property.
3. लाखों लोग प्रभावित हुए। Millions of people were affected.

(h) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana PMJAY

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है।

Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana is a health insurance scheme of the Government of India.

इसे Ayushman Bharat Yojana के अंतर्गत 2018 में शुरू किया गया।

It was launched in 2018 under Ayushman Bharat Yojana.

इस योजना के अंतर्गत गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है।

Under this scheme, poor and vulnerable families get free treatment up to Rs. 5 lakh per year.

लाभ: Benefits:

1. सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज। Treatment in government and private hospitals.
2. गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता। Financial support to poor families.
3. गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज। Free treatment of serious diseases.

(i) कार्टोसैट-3 Cartosat-3

Cartosat-3 भारत का एक उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है।

Cartosat-3 is an advanced Earth observation satellite of India.

इसे 27 नवंबर 2019 को Indian Space Research Organisation द्वारा प्रक्षेपित किया गया।

It was launched on 27 November 2019 by the Indian Space Research Organisation.

इसकी सहायता से उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें प्राप्त होती हैं।

It provides very high-quality images.

उपयोग: Uses:

1. नक्शा बनाने में। For map making.
2. सीमा सुरक्षा में। For border security.
3. शहरी योजना और आपदा प्रबंधन में। For urban planning and disaster management.

Q7.Write the full forms of the following abbreviations:

(a) LTU – Large Taxpayer Unit

(b) GIAN – Global Initiative of Academic Networks

(c) LoM – Line of March

(d) ASHA – Accredited Social Health Activist

(e) POCSO – Protection of Children from Sexual Offences

(f) NCLT – National Company Law Tribunal

(g) SARS – Severe Acute Respiratory Syndrome

(h) ASSOCHAM – Associated Chambers of Commerce and Industry of India

(i) UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

(j) FSSAI – Food Safety and Standards Authority of India

Q8. (A)Name the authors of the following books:

i. Making Aid Work – Abhijit Banerjee
मेकिंग एड वर्क पुस्तक अभिजीत बनर्जी द्वारा लिखी गई है।

ii. Kaagaz Ki Naav – Krishan Chander
कागज़ की नाव पुस्तक कृष्ण चंदर द्वारा लिखी गई है।

iii. The Moment of Lift – Melinda French Gates
द मोमेंट ऑफ लिफ्ट पुस्तक मेलिंडा फ्रेंच गेट्स द्वारा लिखी गई है।

iv. My Journey – A. P. J. Abdul Kalam
माय जर्नी पुस्तक ए. पी. जे. अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है।

v. We Are Displaced – Malala Yousafzai
वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक मलाला यूसुफजई द्वारा लिखी गई है।

Q8. (B)With which sports are the following associated?

(i) Durand Cup – Football डूरंड कप – फुटबॉल
(ii) Sultan Azlan Shah Trophy – Hockey सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी – हॉकी
(iii) Deodhar Trophy – Cricket देवधर ट्रॉफी – क्रिकेट
(iv) Ryder Cup – Golf राइडर कप – गोल्फ
(v) Thomas Cup – Badminton थॉमस कप – बैडमिंटन

Q9.(A)In which fields have the following persons achieved fame?

(i) Saumya Swaminathan – Medicine and Public Health; former Chief Scientist at World Health Organization.
सौम्या स्वामीनाथन – चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य; World Health Organization की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक।
(ii) Pinaki Chandra Ghosh – Judiciary and Anti-Corruption; first Lokpal of India.
पिनाकी चंद्र घोष – न्यायपालिका एवं भ्रष्टाचार निरोध; भारत के प्रथम लोकपाल।
(iii) Hima Das – Athletics; Indian sprinter.
हिमा दास – एथलेटिक्स; भारतीय धाविका।
(iv) Mohana Singh – Indian Air Force; one of the first women fighter pilots of India.
मोहना सिंह – भारतीय वायु सेना; भारत की पहली महिला फाइटर पायलटों में से एक।
(v) Abhinandan Varthaman – Indian Air Force; fighter pilot and war hero.
अभिनंदन वर्धमान – भारतीय वायु सेना; फाइटर पायलट एवं युद्ध नायक।

Q9(B)What are meant by the following?

(i) Sustainable Development Goals सतत विकास लक्ष्य
Sustainable Development Goals (SDGs) are 17 global goals adopted by the United Nations in 2015 to achieve economic growth, social justice and environmental protection by 2030.
Sustainable Development Goals (SDGs) वे 17 वैश्विक लक्ष्य हैं जिन्हें United Nations ने 2015 में 2030 तक आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण प्राप्त करने के लिए अपनाया।

(ii) GI Tag जीआई टैग
GI Tag means Geographical Indication Tag. It is given to a product that originates from a particular geographical area and has special quality or reputation due to that place, such as Darjeeling Tea.
GI Tag का अर्थ Geographical Indication Tag है। यह किसी ऐसे उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो और जिसकी विशेष गुणवत्ता या पहचान उस क्षेत्र के कारण हो, जैसे Darjeeling Tea।

(iii) TRIFED ट्राइफेड
TRIFED stands for Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India. It is an organization under the Government of India that works for the welfare and marketing of tribal products.
TRIFED का पूरा नाम Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India है। यह भारत सरकार के अधीन एक संस्था है जो जनजातीय उत्पादों के विपणन और जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करती है।

(iv) Gene Silencing जीन साइलेंसिंग

Gene Silencing is a process by which the activity of a gene is stopped or reduced so that it does not produce a particular protein. It is used in biotechnology and medical research.

Gene Silencing वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीन की क्रिया को रोक दिया जाता है या कम कर दिया जाता है ताकि वह विशेष प्रोटीन न बना सके। इसका उपयोग जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा अनुसंधान में किया जाता है।

(v) Kalapani Territorial Dispute कालापानी क्षेत्रीय विवाद

Kalapani Territorial Dispute is a border dispute between India and Nepal over the Kalapani region located near the tri-junction of India, Nepal and China. Both countries claim this area as their own.

कालापानी क्षेत्रीय विवाद India और Nepal के बीच सीमा विवाद है। यह क्षेत्र भारत, नेपाल और चीन के त्रि-जंक्शन के पास स्थित है। दोनों देश इस क्षेत्र पर अपना दावा करते हैं।

Q10. (A) नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम

Renewable Energy Expansion Programmes in India

भारत में ऊर्जा की बढ़ती मांग तथा पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार पर विशेष बल दिया जा रहा है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

Keeping in view the increasing demand for energy and environmental protection, India is giving special emphasis to the expansion of renewable energy. India has set a target of achieving 500 GW of non-fossil fuel energy capacity by 2030.

भारत में प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

The major renewable energy programmes in India are as follows:

1. **राष्ट्रीय सौर मिशन National Solar Mission**

   इसे 2010 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। इसके अंतर्गत सोलर पार्क, रूफटॉप सोलर और सोलर पंपों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

   It was launched in 2010. Its objective is to increase solar power generation. Under this, solar parks, rooftop solar systems and solar pumps are being promoted.

2. **पवन ऊर्जा कार्यक्रम Wind Energy Programme**

   भारत विश्व के प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में से एक है। तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में पवन ऊर्जा परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं।

   India is among the leading wind energy producing countries of the world. Wind energy projects are being implemented in Tamil Nadu, Gujarat, Rajasthan and Maharashtra.

3. **प्रधानमंत्री कुसुम योजना Prime Minister KUSUM Scheme**

   Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप तथा खेतों में सौर संयंत्र लगाने हेतु सहायता दी जाती है।

   Under the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan scheme, farmers are provided assistance for installing solar pumps and solar plants in their fields.

4. रूफटॉप सोलर कार्यक्रम Rooftop Solar Programme

इस कार्यक्रम के तहत घरों, स्कूलों, अस्पतालों और कार्यालयों की छतों पर सौर पैनल लगाए जा रहे हैं।

Under this programme, solar panels are being installed on the rooftops of houses, schools, hospitals and offices.

5. जैव ऊर्जा एवं बायोगैस कार्यक्रम Bio-energy and Biogas Programme

कृषि अवशेष, गोबर तथा जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध हो रही है।

Energy generation from agricultural residue, cow dung and organic waste is being promoted. This is providing clean energy in rural areas.

6. हरित हाइड्रोजन मिशन Green Hydrogen Mission

National Green Hydrogen Mission का उद्देश्य स्वच्छ हाइड्रोजन का उत्पादन और उपयोग बढ़ाना है, जिससे पेट्रोलियम पर निर्भरता कम हो सके।

The objective of the National Green Hydrogen Mission is to increase the production and use of clean hydrogen, thereby reducing dependence on petroleum.

7. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन International Solar Alliance

भारत और France द्वारा शुरू किया गया International Solar Alliance सौर ऊर्जा के वैश्विक प्रसार के लिए कार्य कर रहा है।

The International Solar Alliance, launched by India and France, is working for the global expansion of solar energy.

निष्कर्ष Conclusion

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन कार्यक्रमों से प्रदूषण कम होगा, रोजगार बढ़ेगा और भारत आत्मनिर्भर ऊर्जा की ओर बढ़ेगा।

Renewable energy programmes in India are important steps towards energy security, environmental protection and sustainable development. These programmes will reduce pollution, increase employment and help India move towards self-reliance in energy.

Q10. (B) आपदा प्रबंधन : परिभाषा एवं भारत में हाल के रुझान

Disaster Management: Definition and Recent Trends in India

आपदा प्रबंधन का अर्थ ऐसी योजनाओं, उपायों और कार्यों से है जिनके द्वारा प्राकृतिक अथवा मानवजनित आपदाओं के प्रभाव को कम किया जाता है, लोगों की जान-माल की रक्षा की जाती है तथा सामान्य स्थिति को शीघ्र पुनः स्थापित किया जाता है।

Disaster management means the plans, measures and actions through which the impact of natural or man-made disasters is reduced, lives and property are protected, and normal conditions are restored quickly.

आपदा प्रबंधन में चार प्रमुख चरण होते हैं Disaster management has four major stages—

1. रोकथाम या शमन Prevention or Mitigation
2. तैयारी Preparedness
3. त्वरित प्रतिक्रिया Quick Response
4. पुनर्वास और पुनर्निर्माण Recovery and Rehabilitation

भारत में आपदा प्रबंधन का कानूनी आधार National Disaster Management Authority तथा Disaster Management Act, 2005 है।

The legal basis of disaster management in India is the National Disaster Management Authority and the Disaster Management Act, 2005.

भारत में हाल के वर्षों में आपदा प्रबंधन में कई नए रुझान दिखाई दिए हैं—

In recent years, several new trends have emerged in disaster management in India—

1. **राहत आधारित दृष्टिकोण से जोखिम न्यूनीकरण की ओर परिवर्तन Shift from Relief-based Approach to Risk Reduction**

पहले केवल आपदा आने के बाद राहत पर ध्यान दिया जाता था, परंतु अब आपदा आने से पहले तैयारी, चेतावनी और जोखिम कम करने पर बल दिया जा रहा है।

Earlier, the focus was only on relief after a disaster, but now emphasis is being laid on preparedness, warning and risk reduction before the disaster occurs.

2. **प्रौद्योगिकी का बढ़ता उपयोग Increasing Use of Technology**

भारत में उपग्रह, ड्रोन, मोबाइल ऐप, GIS तथा मौसम पूर्वानुमान तकनीक का उपयोग बढ़ा है।

India has increased the use of satellites, drones, mobile apps, GIS and weather forecasting technology.

Indian Space Research Organisation तथा India Meteorological Department चक्रवात, बाढ़ और वर्षा की सटीक चेतावनी दे रहे हैं।

Indian Space Research Organisation and India Meteorological Department are providing accurate warnings regarding cyclones, floods and rainfall.

3. **पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास Development of Early Warning Systems**

चक्रवात, सुनामी, भूकंप और बाढ़ के लिए आधुनिक चेतावनी प्रणाली विकसित की गई है।

Modern warning systems have been developed for cyclones, tsunamis, earthquakes and floods.

उदाहरण के लिए, Cyclone Amphan और Cyclone Fani के समय समय पर चेतावनी और सुरक्षित निकासी के कारण जनहानि कम हुई।

For example, during Cyclone Amphan and Cyclone Fani, timely warnings and safe evacuation reduced the loss of lives.

4. **सामुदायिक भागीदारी पर बल Emphasis on Community Participation**

अब स्थानीय समुदाय, पंचायत, स्वयंसेवी संगठन और युवाओं को आपदा प्रबंधन में शामिल किया जा रहा है।

Now local communities, Panchayats, voluntary organisations and youth are being involved in disaster management.

गाँवों और शहरों में मॉक ड्रिल तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

Mock drills and training programmes are being conducted in villages and cities.

5. **जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं पर ध्यान Focus on Climate Change-related Disasters**

भारत में बाढ़, सूखा, चक्रवात, हीट वेव और जंगल की आग जैसी घटनाएँ बढ़ रही हैं। इसलिए अब जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर आपदा प्रबंधन नीति बनाई जा रही है।

Incidents like floods, droughts, cyclones, heat waves and forest fires are increasing in India. Therefore, disaster management policy is now being framed keeping climate change in mind.

6. **शहरी आपदा प्रबंधन का महत्व Importance of Urban Disaster Management**

तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण भवन गिरना, आग लगना, जलभराव और प्रदूषण जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं।

Due to rapid urbanisation, problems such as building collapse, fire, waterlogging and pollution are increasing.

इसलिए स्मार्ट सिटी और नगर निकायों में आपदा प्रबंधन योजनाएँ बनाई जा रही हैं।

Therefore, disaster management plans are being prepared in smart cities and municipal bodies.

7. **स्वास्थ्य आपदाओं पर विशेष ध्यान Special Focus on Health Disasters**

COVID-19 महामारी के बाद भारत ने स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन को अधिक महत्व दिया है।

After the COVID-19 pandemic, India has given greater importance to health disaster management.

अस्पतालों, ऑक्सीजन, टीकाकरण और डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत किया गया है।

Hospitals, oxygen supply, vaccination and digital health systems have been strengthened.

- **निष्कर्ष Conclusion**

भारत में आपदा प्रबंधन केवल राहत कार्य तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह वैज्ञानिक, तकनीकी और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित एक व्यापक व्यवस्था बन गया है। भविष्य में जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण को देखते हुए आपदा प्रबंधन को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

Disaster management in India is no longer limited to relief work, but has become a comprehensive system based on science, technology and community participation. In future, disaster management needs to be strengthened further in view of climate change and urbanisation.

Target for IQ